न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 01/2022
दायर दिनांक :– 12.01.2022

अनवान

1. भुरी पुत्री देवा गुर्जर नि. फता का खेडा हाल पत्नि देवा गुर्जर नि. कास्या खेडा तह. माण्डलगढ
2. गलकू देवी पुत्री देवा गुर्जर नि. फता का खेडा पत्नि भोजा गुर्जर नि. बेकली तह. जहाजपुर
3. नन्दू देवी पुत्री देवा गुर्जर नि. फता का खेडा हाल पत्नि राजू लाल गुर्जर नि. कास्या खेडा तह. माण्डलगढ

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. रामलाल पिता संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
2. गोपाल पिता संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
3. रामेश्वर पिता संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
4. नारायण पिता संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
5. लाली पुत्री संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
6. गीता पुत्री संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
7. लाड पुत्री संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
8. भूला देवी पत्नि संग्राम गुर्जर नि. फता का खेडा तह. जहाजपुर
9. कमला पत्नि रामलाल गुर्जर नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
10. हजा पुत्री लादू पत्नि सीताराम गुर्जर नि. जागोलाई तह. जहाजपुर
11. रूकमणी पत्नि लादू लादू गुर्जर नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
13. उप पंजीयक, उप पंजियक कार्यालय खजुरी

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट अप्रार्थी सं. 9 से 11

:: आदेश :: दिनांक 27.07.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम फत्ता का खेडा प0 ह0 खजुरी तह. जहाजपुर की आ. सं. 784, 785, 786, 787, 793, 795, 796, 797, 798, 800,

सहा. कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 818, 819, 82, 21, 822, 823, 824, 825 कुल किता 29 कुल रकबा 3.1729 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार गीता पुत्री संग्राम 1/16, गोपाल पुत्र संग्राम 1/16, नारायण पुत्र संग्राम 1/16, भूला देवी पत्नि संग्राम 1/16, रामलाल पुत्र संग्राम 1/16 भूला देवी पत्नि संग्राम 1/16, रामलाल पुत्र संग्राम 1/16, रामेश्वर पुत्र संग्राम 1/16, लाड पुत्री संग्राम 1/16, लादू पुत्र होक्मा 1/2, लाली पुत्री संग्राम 1/16 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं लेकिन वादीगण का अपने हक हिस्सेनुसार निरन्तर कृषि भूमि पर कब्जे काश्त हैं उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तैनी कृषि भूमि हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधिक से शारित हैं खातेदार लादू पिता होक्मा फोत हो गया है। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्वत 2015–2016 में प्रार्थीगण के पिता देवा पिता गंगा गुर्जर एवं देवा पिता गंगा के भाई होक्मा पिता गंगा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी हरला पिता गंगा गुर्जर जो कि देवा व होक्मा का भाई था जो अविविाहित ही फोत हो गया था उस वक्त फता का खेडा ग्राम मानपुरा का मजरा का हिस्सा था। सम्वत 2026 की जमाबन्दी एवं इन्तकाल सं. 24 दिनांक 22.06.1970 में राजस्व कर्मचारियों एवं राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी जांच किये बिना विधिक अधिकारी की जांच किये बिना अपनी मनमर्जी से देवा पिता गांगा फोत होने से विरासत में खाता देवा के भाई होक्मा के नाम रदोबदल कर दिया जबकि प्रार्थीगण देवा गुर्जर की विधिक वारिसान मौजूद थी। उक्त विरासत से खोला गया खाता विधि विरूद्व था जो कि कानून गलत था। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 11 के पूर्वजो की कृषि है जो विरासत गलत तरीके से अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हो गई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण हिन्दू विधि से शासित है। प्रार्थीगण अपने पिता देवा पिता गंगा गुर्जर की विधिक वारिसान हैं प्रार्थना पत्र की चरण सं 1 में वर्णित कृषि भूमि में से 1/2 हक हिस्सा की सह खातेदार घोषित होने की अधिकारीणी हैं जो कि आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया हैं। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थीयागण को अमुल्य क्षति होगी जिसका मुल्यांकन करना संभव नही होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी स्वयं न करे या अन्य किसी से न करावें और मौके और रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश प्रदान कराये जाने मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थी सं. 1 से 8 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 9 से 11 की और से श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 9 से 11 की और

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। देवा पिता गंगा, हरला पिता गांगा नही है। विवादग्रस्त जमीन ग्राम फत्ता का खेडा की है मानपुरा की नही है इसके अलावा नामन्तकरण 24 दिनांक 22.06.2070 को खोला गया उसकी अब तक अपील पेश नही की गई उसकी वैधता या अवैधता को मियाद बाहर होने से चुनोती नही दी जा सकती। वाद में अंकित भूमि में से कौनसे पूर्वजों की है उक्त भूमि में से काफी भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व राजपूतों के नाम थी इस कारण उक्त भूमि विरासत से आना अस्वीकार है। प्रार्थीगण को किसी भी तरह की अपूरणीया क्षति नही होगी इसके विपरीत प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 को प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र की आड में उनके कब्जे व हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहता है। वादी का दाद खातेदारी घोषणा का है जिसके लिये राज्य सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक है घोषणात्मक दावे बिना 80 सी पी सी का नोटिस दिये बिना दावा नही चल सकता है। उक्त वाद सेटलमेन्ट होने के 70 साल बाद पेश किया गया व नामान्तरण खुलने के 52 साल बाद दावा पेश किया जो चलने योग्य नही है। वादीया अगर वारीस थी तो पहले वाद करती। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा बिना कब्जे के नही चल सकता वादीगण का कब्जा नही है। नामान्तरण मानपुरा का है जबकि वाद फत्ता का खेडा का है वादी ने यह स्पष्ट नही किया की ग्राम फत्ता का खेडा व मानपुरा दोनो अलग अलग है या एक ही है। वाद में कही स्पष्ट नही है कि वादीया के पिता के नाम कौन कौन सी आराजी थी व क्या देवा की वारीस है। रूकमा प्रतिवादी सं. 11 लादू की विधवा है रूकमा की दो लडकिया कमला व हंजा ससुराल में है पुरूष सन्तान रूकमा के नही है केवल उसकी भूमि छीनने के आशय से अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4 ने योजना बना वादीगण से उक्त वाद पेश करवाया जिससे भविष्य में व मालिक बन सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हरजे खर्चे खारीज फरमावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजियात में वादीगण का अपने हक हिस्सेनुसार निरन्तर कृषि भूमि पर कब्जे काश्त हैं उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तैनी कृषि भूमि हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधिक से शास्ति हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्वत 2015–2016 में प्रार्थीगण के पिता देवा पिता गंगा गुर्जर एवं देवा पिता गंगा के भाई होक्मा पिता गंगा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी हरला पिता गंगा गुर्जर जो कि देवा व होक्मा का भाई था जो अविविाहित ही फोत हो गया था उस वक्त फता का खेडा ग्राम मानपुरा का मजरा का हिस्सा था। सम्वत 2026 की जमाबन्दी एवं इन्तकाल सं. 24 दिनांक 22.06.1970 में बिना किसी जांच किये बिना विधिक अधिकारी की जांच किये बिना अपनी मनमर्जी से देवा पिता गांगा फोत होने से विरासत में खाता देवा के भाई होक्मा के नाम रदोबदल कर दिया जबकि प्रार्थीगण देवा गुर्जर की विधिक वारिसान मौजूद थी। उक्त विरासत से खोला गया खाता विधि विरूद्व था जो कि कानून गलत था। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 11 के पूर्वजो की कृषि है जो विरासत गलत तरीके से अप्रार्थीगण के पिता के

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

नाम दर्ज हो गई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण हिन्दू विधि से शासित है। प्रार्थीगण अपने पिता देवा पिता गंगा गुर्जर की विधिक वारिसान हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया हैं। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थीयागण को अमुल्य क्षति होगी जिसका मुल्यांकन करना संभव नही होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निरतारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी स्वयं न करे या अन्य किसी से न करावें और मौके और रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश प्रदान कराना फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। देवा पिता गंगा, हरला पिता गांगा नही है। विवादग्रस्त जमीन ग्राम फत्ता का खेडा की है मानपुरा की नही है इसके अलावा नामन्तकरण 24 दिनांक 22.06.1970 को खोला गया उसकी अब तक अपील पेश नही की गई उसकी वैघता या अवैघता को मियाद बाहर होने से चुनोती नही दी जा सकती। वाद में अंकित भूमि में से कौनसे पूर्वजों की है उक्त भूमि में से काफी भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व राजपूतों के नाम थी इस कारण उक्त भूमि विरासत से आना अस्वीकार है। प्रार्थीगण को किसी भी तरह की अपूरणीया क्षति नही होगी इसके विपरीत प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 को प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र की आड में उनके कब्जे व हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहता है। वादी का दावा खातेदारी घोषणा का है जिसके लिये राज्य सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक है घोषणात्मक दावे बिना 80 सी पी सी का नोटिस दिये बिना दावा नही चल सकता है। उक्त वाद सेटलमेन्ट होने के 70 साल बाद पेश किया गया व नामान्तरण खुलने के 52 साल बाद दावा पेश किया जो चलने योग्य नही है। वादीया अगर वारीस थी तो पहले वाद करती। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा बिना कब्जे के नही चल सकता वादीगण का कब्जा नही है। नामान्तरण मानपुरा का है जबकि वाद फत्ता का खेडा का है वादी ने यह स्पष्ट नही किया की ग्राम फत्ता का खेडा व मानपुरा दोनो अलग अलग है या एक ही है। वाद में कही स्पष्ट नही है कि वादीया के पिता के नाम कौन कौन सी आराजी थी व क्या देवा की वारीस है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हरजे खर्चे खारीज फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में नामांतरण सं. 24 के द्वारा उक्त वर्णित भूमि देवा पिता गांगा फोत होने से विरासत से खाता देवा के भाई होकमा के नाम रदोबदल करना बताया है। जबकि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण सं. 24 द्वारा होक्मा की बजाय सगराम, लादू के नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत स्वीकृत की गई हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य सही प्रतीत नहीं होते

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू का विवेचन किया जाना आवश्यक नही हैं। अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner